03/2017
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2017 अनवानी श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र आसाराम निवासी राजपुरा पिपरेन तहसील सूरतगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

11–02–2017

पत्रावली आज राष्ट्रीश लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र कुमार पटवारी उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2016 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जावे जावे एवं खर्चा दिलवाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना पत्र दिनांक 08.12.2016 के द्वारा समय अवधि में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील निरस्त की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2016 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> 1. दिनांक 01.05.2015 को राजपुरा पीपरेन के दौरान खातेदारी अधिकार दिये किस–किस को दिये गये सभी की सपूर्ण जानकारी।
> 2. ओर रोही राजपुरा पीपरेन में जो खातेदारी दी गई वो किस आधार पर दी गई ओर किस–किस कौन कौन सी भूमि खातेदारी की गई सपूर्ण जानकारी देवे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपना जबाब सं0 30 दिनांक 23.01.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 791 दिनांक 08.12.2016 के द्वारा समय अवधि में प्रार्थी को भिजवा दी गई थी इसलिए अपील खारिज की जावे।

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा पत्र सं0 791 दिनांक 08.12.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

> आप द्वारा वांछित सूचना के संदर्भ में लेख है कि दिनांक 01.05.2015 को आयोजित कैम्प में मुताबिक रिकार्ड निम्नांकित प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे।
> 1. काशीराम पुत्र श्री लेखराम, जाति बैरागी, साकिन ढाढियावाली, ख.न. 173/3 को 60325 हैक्टेयर ।
> 2. मलूराम पुत्र श्री सुखराम जाति बैरागी राजपुरा पीपरेन खसरा नंम्बर 248 को 1.518 हैक्टेयर।
> उपर्युक्त खातेदारी भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौके एवं रिकार्ड की जांच एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गयी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 व 2 की जो सूचना दी गयी है वह अपीलार्थी के अनुसार पर्याप्त नही है। इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त दोनो बिन्दुओ की सूचना से संबंधित मौंका निरीक्षण रिपोर्ट का अपीलार्थी को निरीक्षण करवाया जावे। जांच रिपोर्ट से अपीलार्थी जिस अभिलेख की प्रतिलिपि लेना चाहे, वह अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर